प्रकरण संख्या 25/2021 महीपाल बनाम लालसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	पत्रावली प्रस्तुत। अभिभाषक अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 शैतानसिंह की मृत्यु होने का कथन करते हुए उनके वारिसान की नामकायमी हेतु निवेदन किया। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की है तथा प्रार्थना पत्र पर पार्टी के हस्ताक्षर नहीं है, न ही प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है, जबकि देरी को कण्डोन करने के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 4 का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें मृतक शैतानसिंह की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं की है, न ही उक्त प्रार्थना पत्र पर पार्टी के हस्ताक्षर हैं एवं न ही मियाद कण्डोन करने हेतु धारा 5 का आवेदन ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील अबेट होने से खारिज की जाती है। (कीर्ति राठौड़) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kirti Rathore Date: 2024.11.19 11:12:40 IST Reason: SelfAttested	